रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ ज्येष्ठ 03, 1940
No. 345] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/ JYAISTHA 03, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

सा.का.नि. 487(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 (1997 का 30) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपराष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपराष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं नियम, 1999 के नियम 4 में उपनियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और यह 1 अप्रैल, 2018 से रखा हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 90000 रुपए (नब्बे हजार रुपए केवल) से अनधिक राशि प्रत्येक सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति को कार्यालय व्यय के मद्दे उसके द्वारा उपगत वास्तविक प्रभारों के लिए संदत्त की जाएगी"।

[फा.सं. 1/1/2016-एमएंडजी]

एस. के. शाही, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 228(अ), तारीख 30 मार्च, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए:-

(i) सा.का.नि. सं. 222(अ) तारीख 6 मार्च, 2000,

(ii) सा.का.नि. सं. 548(अ) तारीख 5 अगस्त, 2002 और

(iii) सा.का.नि. सं. 89(अ) तारीख 10 फरवरी, 2009

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2018

G.S.R. 487(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Vice-President's Pension Act, 1997 (30 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Vice-President's Pension, Housing and Other Facilities Rules, 1999, namely:-

1. Short title and commencement -

(1) These rules may be called the Vice-President's Pension, Housing and Other Facilities (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Vice-President's Pension, Housing and Other Facilities Rules, 1999, in rule 4, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of April, 2018.

"(b) during each financial year, an amount not exceeding Rs. 90,000/- (Rupees ninety thousand only) shall be paid to every retired Vice-President towards the actual charges incurred by him on account of office expenses".

[F. No. 1/1/2016-M&G]

S. K. SHAHI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 228(E), dated the 30th March 1999 and subsequently amended *vide* the following notification numbers—

(i) No. G.S.R. 222(E), dated the 6th March 2000,

(ii) No. G.S.R. 548(E), dated the 5th August, 2002 and

(iii) No. G.S.R. 89(E), dated the 10th February, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

सा.का.नि. 488(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रपति पेंशन नियम, 1962 के नियम 3, उपनियम (1) में खंड (ख) और खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे और ये 1 अप्रैल, 2018 से रखे हुए समझे जाएंगे, अर्थात्:--

"(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1,00,000 रुपए (एक लाख रुपए केवल) से अनधिक राशि प्रत्येक सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को कार्यालय व्यय के मद्दे उसके द्वारा उपगत वास्तविक प्रभारों के लिए संदत्त की जाएगी";